

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ML-2023

जयपुर, दिनांक:- 31/12/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्रस	मेरिट / रोल नं	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	910 (2013)	श्री हरीश चौधरी	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार), चौहटन।	NTA-UGC NET -2020
2	1845 (2013)	श्री हरिप्रसाद गौड़	कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, उप पंजीयक पंचम, जोधपुर।	ICMR-Assistant-2020
3	259026 (2018)	श्री कुलदीप कुमार मीणा	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चित्तोडगढ़	UPSC-Enforcement Officer/Accounts Officer, EPFO, Ministry of Labour & Employment
4	307026 (2018)	श्री इमरान मोहम्मद मन्सूरी	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।	RPSC- Assistant Professor, College Education-2020
5	254554 (2018)	सुश्री/श्रीमती कविता भाटिया	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद, अजमेर	RRB-Junior Stenographer(English)
6	2473 (2013)	श्री मुकेश कुमार	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर देहात, जयपुर।	RPSC- Assistant Professor, College Education-2020
7	278613 (2018)	श्री मोहित कुमार तिवारी	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर।	UP Assembly Secretariat Recruitment 2020- Assistant Review Officer
8	W-725 (2013)	श्री बृज मोहन यादव	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर कलेक्ट्रेट, जयपुर।	RSMSSB-Investigator

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Sd/-
(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी(यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Sd/-
31/12/2020

प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन)